न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, डूँगरपुर

(पीठासीन अधिकारी दिनेश धाकड़, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :– 32 / 2023
जीसीएमएस न.:– 2023 / 100
प्रविष्टि दिनांक:– 14.09.2023
निर्णय दिनांक :– 29.01.2025

::–उनवान–::

1. श्री अजय मोयल खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डूँगरपुर।

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री गणेश सरपोटा पिता कान जी सरपोटा (विक्रेता) मैसर्स भंवर दुधवाला सेलावासा ढाणी दुग्ध एकत्रीकरण केन्द्र सेलावासा तहसील घाटोल हाल महाकाल दुध डेयरी साबला जिला डूँगरपुर

2. भंवरलाल रेबारी पिता श्री आशाजी रेबारी धाणी पाडा, सेनावासा बांसवाडा

3. मैसर्स भंवर दुधवाला सेलावासा ढाणी दुग्ध एकत्रीकरण केन्द्र सेलावासा तहसील घाटोल हाल महाकाल दुध डेयरी साबला जिला डूँगरपुर

– अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2) की उप धारा (ii), एवं धारा 51

उपस्थिति :

(1) पेरोकार सरकार उपस्थित।

(2) विपक्षीगण श्री गणेश सरपोटा एवं भंवर लाल रेबारी स्वयं उपस्थित।

::–निर्णय–:: दिनांक: 29.01.25

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 05.02.2023 को दोपहर बाद मैसर्स भंवर दुधवाला सेलावासा ढाणी दुग्ध

दिनेश धाकड़

एकत्रीकरण केन्द्र सेलावासा तहसील घाटोल हाल महाकाल दुध डेयरी साबला जिला डूँगरपुर पर पहुंचा। वहां श्री गणेश सरपोटा पिता श्री कानजी सरपोटा (विक्रेता) मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री भंवरलाल रेबारी को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

2. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में आम जनता को बेचने हेतु 150–200 लिटर मिक्स दुध एक स्टील के ड्रम में रखा हुआ था, निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर श्री गणेश सरपोटा को गवाह के सामने फार्म नं0 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रषीद प्राप्त की जिस पर श्री गणेश सरपोटा एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के द्वारा तस्दीक किया।

3. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान में आम जनता को बेचने हेतु 150–200 लिटर मिक्स दुध रखा हुआ था, उसमें से कुल 02 लिटर मिक्स दुध वेईंग मशीन से तुलवाकर वास्ते नमूना जाँच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत श्री गणेश सरपोटा को रू 100/– अक्षरे एक सौ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर श्री गणेश सरपोटा के हस्ताक्षर तथा उपस्थिति गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

4. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदषुदा 02 लिटर मिक्स दुध को अलग–अलग चार साफ, खाली, सुखे, प्लास्टिक बोतलो में बराबर–बराबर प्रत्येक बोतल में 500–500 एम.एल. भरकर प्रत्येक बोतल में 40–40 बून्दे फार्मेलिन की बूंदे डाल कर एयरटाईट बन्द कर, नियमानुसार चार भागों में तैयार कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक z-1090 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–2 खांकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर, प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं- z-1090 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर गवाहो के समक्ष श्री गणेश सरपोटा मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें तथा गवाहों के हस्ताक्षर भी करवाए। चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने कब्जें में लिया तथा इस समस्त कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर नमूना सील अंकित कर, गवाहों के सामने पढ कर सुनाकर हस्ताक्षर करवाए।

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

5. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला एम.जी. अस्पताल परिसर बांसवाडा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

6. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूँगरपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/1340 दिनांक 21.02.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक बांसवाडा से प्राप्त जांच रिर्पोर्ट सं. पी.एच. लैब/बांसवाडा/ एक्ट/ 2023/117 दिनांक 15.02.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया मिक्स दुध खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

7. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी श्री प्रवीण कलाल उपस्थित हुए एवं बहस की एवं बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस मिक्स दुध का विक्रय कर रहा था, वह जांच **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

8. हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया मिक्स दुध का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उपधारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा दण्डनीय धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण पर शस्ति लगाया जाना न्यायोचित है।

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

—:आदेश:—

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, डूँगरपुर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2) की उप धारा (ii),एवं दण्डनीय धारा 51 का स्वीकार किया जाता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 3,000/— (अक्षरे तीन हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 29.01.2025 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दिनेश धाकड़)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डूँगरपुर—राज0